जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 24 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ निजी सचिव भर्ती नियम, 2002, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ निजी सचिव (केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड)	1*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो। **प्रशिक्षणः** सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली या केंद्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनजीडब्ल्यूटीआरआई), रायपुर से एक सप्ताह का सचिवीय व्यवहार (स्तर-3)। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो आशुलिपिक का पद धारण किए होः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर निजी सचिव ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1**:- पोषक प्रवर्ग के से विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (भूमिगत जल स्थापन), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य 4. केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय या विभाग के समूह (क) का एक अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 21/15/2016/सी जी डब्ल्यू बी]

एस.के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 28th January, 2020

G.S.R. 24 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, Senior Private Secretary Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Senior Private Secretary (Group 'B' Gazetted post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Private Secretary (Central Ground Water Board).	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 (Rs.47600-151100/-).	Selection post.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Private Secretary in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with two years regular service in the grade. **Training:** One week Secretarial practices (level-3) from Institute of Secretarial Training and Management (ISTM), New Delhi or National Ground Water Training and Research Institute (NGWTRI), Raipur. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period of promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government: (a) (i) holding analogous	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2.Director (Administration), Central Ground Water Board – Member; 3. Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganaga Rejuvenation – Member; 4. A Group 'A' Officer of the Central Government from other Ministry or Department - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the Private Secretary grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-7(Rs.44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F.No. 21/15/2016/CGWB]

S. K. KATARIA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.18 10:53:00 +05'30'